अंतिम दिन बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी ने किया धुआँधार प्रचार

कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के लिए मतदाताओं से मांगा वोट

बीजापुर 18 अप्रैल (दण्डकारण्य समाचार)। बस्तर लोक सभा क्षेत्र क्रमांक 10 के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। 17 अप्रैल को चुनाव प्रचार का आख़िरी दिन है ऐसे में बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी ने प्रचार के आख़री दिन बीजापुर के भैरमगढ़ ब्लॉक के विभिन्न गांवों का दौरा कर धुआँधार प्रचार करते हुए बस्तर लोक सभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा और कांग्रेस पार्टी के लिए क्षेत्र के मतदाताओं से वोट मांगा।

बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के पास युवाओं के लिए रोज़गार को लेकर कोई योजना नहीं है। महंगाई को लेकर भाजपा कुछ भी नहीं कहती भाजपा ने किसानों के क़र्ज़ माफ़ी का वादा किया था लेकिन चुनाव के बाद भाजपा किसानों के क़र्ज़ माफ़ी के वादे को पूरा नहीं किया महिलाओं से किए गए वादों को पूरा नहीं किया जिससे मतदाताओं में भाजपा को लेकर पूरे देश में विरोध का माहौल है।

वहीं विक्रम मंडावी ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही हर ग़रीब महिला को साल में एक लाख रुपये, केंद्र सरकार में ख़ाली पड़े तीस लाख पदों की भर्ती, हर डिग्री और डिप्लोमा धारी को साल में एक लाख रुपये देने जैसे पाँच गारंटियाँ आई है केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। विक्रम मंडावी ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी और बस्तर लोक सभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा को लेकर मतदाताओं में ज़बरदस्त उत्साह का माहौल है कवासी लखमा बस्तर से हेतिहासिक जीत हासिल करेंगे पूरे बस्तर लोक सभा क्षेत्र के मतदाता कवासी लखमा के साथ है।

भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग ने सिहावा विधानसभा के विभिन्न ग्रामो में किया जनसंपर्क

कांकेर 18 अप्रैल (दण्डकारण्य समाचार)। भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग ने आज धमतरी जिले के सिहावा विधानसभा क्षेत्र में कुकरेल, नगरी मंडल में जनसंपर्क किया इस दौरान उन्होंने सिंगपुर, जबर्रा, कौहाबाहरा, गुहाननाला जैसे लगभग एक दर्जन गांवो में जनसंपर्क किया। आज भाजपा ने दिल्ली में अपना संकल्प पत्र जारी किया भोजराज नाग अलग गांव में छोटी छोटी सभाओं को संबोधित करते हुए कहा चुनाव में महज कुछ ही दिन का समय शेष है हमे कांकेर के विकास के लिए एक ऐसी सरकार चुननी है जो अंतिम व्यक्ति के विकास को लक्ष्य बनाकर चलती हो।

भोजराज नाग ने बीजेपी के संकल्पपत्र को ऐतिहासिक बताया उन्होंने कहा इसमें गांव गरीब किसान के सर्वांगीण विकास की बात की गई है। सबसे बड़ी बात ये केवल संकल्प पत्र नही बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है। और हम सभी जानते है मोदी की गारंटी हमेशा पूरी होती है। उन्होंने आगामी लोकसभा में उन्हे भारी मतों से विजय दिलाने एवं कमल छाप का बटन दबाने की अपील की।

मतदान सबसे महत्वपूर्ण अधिकार, मतदाता इसकी ताकत को पहचानें - कलेक्टर

✷ ''माई वोट, माई राइट'' की थीम पर आकर्षक रंगोली, चित्रकला एवं मानव श्रृखला बनाकर शत प्रतिशत मतदान का दिया संदेश

सुकमा, 18 अप्रैल (दण्डकारण्य समाचार)। लोकसभा निर्वाचन 2024 में स्वीप कार्यक्रम के तहत सोमवार को जिला मुख्यालय मिनी स्टेडियम सुकमा में जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस स्वीप कार्यक्रम में ''माई वोट, माई राइट'' की थीम पर रंगोली, चित्रकला, मानव श्रृंखला बनाकर 19 अप्रैल 2024 को लोकतंत्र के महापर्व में शत-प्रतिशत मतदान में सहभागिता के लिए मतदाताओं को जागरूकता का संदेश दिया गया। मतदाता जागरुकता संबन्धित जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक की मनमोहक प्रस्तुति के जरिए ''शत प्रतिशत मतदान, सुकमा का अभिमान'' और ÷नन्ना वोट ईतन, सुकमातिन विकास कीतन, तुमचो मत,तुमचो अधिकार÷ का पोस्टर के साथ संदेश देकर जागरूक किया गया। कार्यक्रम में शत-प्रतिशत मतदान करने के लिए सभी को शपथ दिलाई।

कलेक्टर श्री हरिस. एस एवम् एसपी श्री किरण गंगाराम चव्हाण ने विद्यार्थियों द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बनाए गए रंगोली, पेंटिंग का अवलोकन किया तथा सराहना की। उन्होंने ''यस टू वोट, नो टू नोट'' सेल्फी बूथ में सेल्फी भी खिंचाई। उन्होंने कहा कि मतदान के महत्व के संबंध में जानकारी देना है और उन्हें निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए जागरूक होकर मतदान अवश्य करने के लिए प्रेरित करना है कि वे मतदान के दिन मतदान केन्द्र में जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए बधई एवं शुभकामनाएं दी।

इस कार्यक्रम में नगरीय निकाय, जनपद पंचायत, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, नव वर-वधु, नर्सिंग कॉलेज, मितानिन, नागरिकगण सहित जिला प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारीगण शामिल हुए।

विस्फोटक सामग्री के साथ 2 माओवादी पकड़ाए

डीआरजी बीजापुर एवं थाना गंगालूर की संयुक्त कार्यवाही

बीजापुर 18 अप्रैल (दण्डकारण्य समाचार)। माओवादी विरोधी अभियान के दौरान 16 अप्रैल को थाना गंगालूर क्षेत्रान्तर्गत पालनार टोण्डापारा के जंगल से विस्फोटक एवं प्रतिबंधित माओवादी संगठन के प्रचार प्रसार की सामग्री सहित 01 माओवादी एवं 01 विधि से संघर्षरत बालक को पकड़ा गया।

जिले में संचालित माओवादी विरोधी अभियान के दौरान डीआरजी बीजापुर की टीम 16 अप्रैल को माओवादी विरोधी अभियान पर पालनार की ओर निकली थी । अभियान के दौरान सुरक्षा बल द्वारा पालनार टोण्डापारा के जंगल में पुलिस पार्टी को देखकर लुकते छिपते 02 संदिग्ध को पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ करने पर अपना नाम मंगू पूनेम पिता शत्रु पूनेम उम्र 21 वर्ष निवासी पुसनार धुर्वापारा थाना गंगालूर बीजापुर एवं एक विधि से संघर्षरत बालक शामिल है।

पकड़े गये संदिग्धों के कब्जे से 01 नग टिफिन बम 03 किग्रा, पेंसिल सेल 06 नग, सेफ्टी फ्यूज, प्रतिबंधित माओवादी संगठन की प्रचार प्रसार की सामग्री बरामद किया गया । पकड़े गये संदिग्धों के विरूद्ध थाना गंगालूर में वैधानिक कार्यवाही उपरान्त न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय बीजापुर पेश किया गया है एवं विधि से संघर्षरत बालक को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया है ।

दिव्यांग एवं वरिष्ठ आयु वर्ग के मतदाताओं के लिए रहेगी निशुल्क परिवहन सुविधा

दंतेवाड़ा, 18 अप्रैल (दण्डकारण्य समाचार)। लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत 19 अप्रैल 2024 को सुबह 7 बजे से 03 बजे होनी वाले लोकसभा निर्वाचन के दौरान दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिक आयु वर्ग के मतदाताओं को मतदान दिवस को निशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। दिव्यांग रथ के माध्यम से लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत मतदान केन्द्रवार दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिकों को चिन्हाकंन किया जाकर उनके द्वारा मांगे जाने पर मतदान दिवस को उनके आवास स्थल से मतदान केन्द्र तक लाने एवं मतदान पश्चात वापस उनके निवास स्थल तक छोड़ने हेतु नि शुल्क दिव्यांग रथ की व्यवस्था सुनिष्चित की गयी है। ज्ञात हो कि दतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र-88 अन्तर्गत दंतेवाड़ा में चिन्हित वरिष्ठ मतदाता 15, दिव्यांग मतदाता 07, गीदम में वरिष्ठ मतदाता 04, दिव्यांग मतदाता 08, कुआकोण्डा में वरिष्ठ मतदाता 02, दिव्यांग मतदाता 02 तथा कटेकल्याण में वरिष्ठ मतदाता 02, दिव्यांग मतदाता 01 मतदाता है। इस प्रकार पूरे जिले में 41 वरिष्ठ एवं दिव्यांग मतदाता चिन्हित किए गए है।

किरंदुल, पोन्दूम, तोयलंका, मोखपाल में मतदाताओं को बताया गया मतदान का महत्व

दंतेवाड़ा 18 अप्रैल (दण्डकारण्य समाचार)। जिले भर में स्वीप कार्यक्रम के तहत आगामी लोक सभा निर्वाचन में मतदान शत प्रतिशत मतदान जागरूकता क्रम में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत किरंदुल के बस स्टैंड, फुटबाल ग्राउंड, पोन्दूम, तोयलंका, मोखपाल में स्थानीय लोगों को वोटिंग की महत्व और चुनावी प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान की गई, साथ ही, उन्हें मतदाता के अधिकारों के बारे में भी जागरूक किया गया ताकि वे अपना मतदान सही तरीके से कर सकें। साथ ही लोकतंत्र के महापर्व विषय पर रंगोली, पोस्टर बनाकर सभी मतदाताओं को मतदान के प्रति संदेश दिया गया। इसी तरह आगामी 19 अप्रैल को मतदान दिवस के परिप्रेक्ष्य में अन्य कई स्थानों पर भी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं और पोस्टर, रंगोली बनाकर कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दिखाई जा रही है। ज्ञात हो कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मयंक चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में विभिन्न विभागों द्वारा मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने और शत-प्रतिशत मतदान कराने के उद्देश्य से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर सघन अभियान चलाये जा रहे हैं।

मतदान केन्द्र की गतिविधियों पर रखें पैनी नजर

✷ माईक्रो आब्जर्वर्स की बैठक में प्रेक्षक जे गणेशन ने दिए निर्देश

कोंडागांव, 18 अप्रैल (दण्डकारण्य समाचार)। लोक सभा आम चुनाव के दौरान मतदान केन्द्र की गतिविधि पर नजर रखने का कार्य माईक्रो आब्जर्वर द्वारा की जाएगी। सोमवार को जिला कार्यालय के प्रथम तल स्थित सभाकक्ष में प्रेक्षक श्री जे गणेशन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुणाल दुदावत भी उपस्थित थे।

बैठक में श्री गणेशन ने कहा कि मतदान के दौरान चुनाव के हर कार्यकलापों पर पैनी नजर रखने की जिम्मेवारी माइक्रो ऑब्जर्वर को होगी। मतदान तिथि के एक दिन पूर्व माइक्रो ऑबजर्वर को सामग्री वितरण केन्द्र पहुँचना है, जहाँ से उन्हें मतदान टीम के साथ मतदान केन्द्र जाना होगा तथा मतदान की समाप्ति के बाद उन्हें मतदान टीम के साथ मतदान सामग्री प्राप्ति केन्द्रलौटना है। सामान्य प्रेक्षक प्रत्येक कार्य की निगरानी करेंगे और प्रेक्षक को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। माइक्रो ऑब्जर्वर मतदान केन्द्र पहुँच कर मतदान केन्द्र की तैयारी मतदान केन्द्र पर मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता, मॉक पोल का निरीक्षण, मतदान अभिकर्त्ता की उपस्थिति, अमिट स्याही, मतदाता रजिस्टर आदि का निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे। मतदान समाप्ति के बाद माइक्रो ऑब्जर्वर अपना प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में कलेक्शन सेंटर में सौंपना है। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चित्रकांत चाली ठाकुर, सहायक रिटर्निंग अधिकारी सुश्री निकिता मरकाम भी उपस्थित थीं।

एपिक कार्ड के अलावा 12 अन्य पहचान पत्रों द्वारा मतदाता कर सकेंगे मतदान

बीजापुर 18 अप्रैल (दण्डकारण्य समाचार)। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत मतदान केंद्रों में मतदाताओं को मतदान करने में सहायता हेतु दिशा-निर्देश जारी कर एपिक कार्ड के अलावा 12 अन्य प्रकार के पहचान पत्रों को प्रस्तुत कर मतदान करने की सुविधा प्रदान की गयी है। कोई भी मतदाता, मतदाता पहचान पत्र के अलावा इन 12 प्रकार के पहचान पत्रों को अपने सम्बधित मतदान केन्द्रों में प्रस्तुत कर मतदान कर सकते हैं। जिसके तहत आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक अथवा डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य बीमा स्कीम के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पैन कार्ड, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा नेशनल पापुलेशन रजिस्टर के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र अथवा राज्य सरकार या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों को जारी किया गया शासकीय पहचान पत्र एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी युनिक निःशक्तता पहचान पत्र (यूडीआईडी) के माध्यम से मतदान किया जा सकता है।

सामान्य प्रेक्षक ने कोण्डागांव के मतदान केन्द्रों का किया निरीक्षण

✷ मतदान केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने दिए निर्देश

कोण्डागांव, 18 अप्रैल (दण्डकारण्य समाचार)। लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बस्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 10 के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक डॉ0 जे गणेशन ने गुरूवार को कोण्डागांव जिले के चिखलपुटी, बनियागांव, दहिकोंगा एवं जोबा मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया। जहां उन्होंने मतदान केन्द्रों में मतदान दलों एवं मतदाताओं के लिए आधारभूत सुविधाओं का सुनिश्चित करने हेतु जायजा लिया। उन्होंने मतदान केन्द्रों पर पहुंच भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप मतदाताओं के लिए छायादार विश्राम स्थल, पेयजल, शौचालय की सुविधा सहित दिव्यांग मतदाताओं हेतु रैम्प इत्यादि की व्यवस्था करने हेतु निर्देश दिये। इसके अतिरिक्त ग्रीष्म ऋतु के मद्देनजर मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं के लिए छाया एवं पेयजल की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किये जाने हेतु कहा।

सामान्य प्रेक्षक द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु चिखलपुटी, बनियागांव, दहिकोंगा एवं जोबा का निरीक्षण कर मतदाताओं को सुगम मतदान करने हेतु प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था तथा अन्य सुविधाओं को देखा और सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराए जाने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिए। इस दौरान एसडीएम कोण्डागांव निकिता मरकाम एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

कलेक्टर ने मतदान दलों के अधिकारियों को बताई मतदान की बारीकियां

कोण्डागांव, 18 अप्रैल (दण्डकारण्य समाचार)। लोकसभा निर्वाचन के प्रथम चरण में बस्तर संसदीय क्षेत्र के कोण्डागांव विधानसभा एवं नारायणपुर विधानसभा (आंशिक) हेतु निर्वाचन में मतदान हेतु बनाये गए मतदान दलों के अंतिम दौर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सोमवार को कलेक्टर कुणाल दुदावत शामिल हुए। कलेक्टर ने स्वामी आत्मानन्द अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पहुंच मतदान दलों से चर्चा करते हुए मतदान दिवस पर ध्यान में रखी जाने वाली छोटी छोटी बारीकियों पर उनका ध्यान केंद्रित करते हुए तथा पहले मतदान प्रारंभ होने से लेकर मतदान समाप्त होने तक सतर्कता पूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने मतदान दलों को मतदान सामग्री को प्राप्त करने पश्चात् सभी सामग्री की जांच करने तथा किसी भी प्रकार की समस्या पाये जाने पर सेक्टर अधिकारी को सूचित कर तुरन्त समाधान प्राप्त करने को कहा। उन्होंने मतदान के दिन किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अपनायी जाने वाले मानक कार्यविधि के बारे में जानकारी दी। मतदान के पूर्व मशीनों को आरम्भिक अवस्था में होना सुनिश्चित करने को कहा। कलेक्टर द्वारा मतदान दलों के अधिकारियों से विभिन्न मतदान से संबंधित सवालों के द्वारा उनकी तैयारियों का जायजा लेते हुए अन्य आवश्यक जानकारियां दी गई और सभी को इस लोकतंत्र के उत्सव की जिम्मेदारी के निर्वहन हेतु शुभकामनाएं देते हुए उनका उत्साहवर्धन भी किया गया। उन्होंने पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान करने वाले अधिकारियों को समय पर मतदान करने के निर्देश दिए।

माइक्रो ऑब्जर्वर मतदान दिवस के दिन सभी प्रक्रिया की करेंगे मॉनिटरिंग

दंतेवाड़ा, 18 अप्रैल (दण्डकारण्य समाचार)। लोकसभा निर्वाचन-2024 के तहत मतदान केंद्रों के लिए नियुक्त माइक्रो ऑब्जर्वरों का प्रशिक्षण कार्यक्रम संयुक्त जिला कार्यालय भवन के तृतीय स्थल सभाकक्ष में आयोजित किया गया। इस दौरान प्रशिक्षण को सम्बोधित करते हुए सामान्य प्रेक्षक जे. गणेशन ने कहा कि माइक्रो ऑब्जर्वर को प्रमुख कार्य निर्वाचन प्रक्रिया के सुचारू रूप संचालन का अवलोकन कर उसी के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना है। अतः माइक्रो ऑब्जर्वर मतदान दिवस के दिन बिना किसी पक्षपात और भय के सभी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करेगें। भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन तथा गाइड लाइन के आधार पर मतदान केंद्र के कार्य पूर्ण रूप से संपादित हो इसकी जानकारी माइक्रो ऑब्जर्वर द्वारा ही दी जानी है। अतः प्रशिक्षण में माइक्रो ऑब्जर्वर की भूमिका से संबंधित सभी पहलुओं और जानकारियों को अच्छे तरह से जाने और समझें। माइक्रो ऑब्जर्वर की रिपोर्ट फार्मेट के बिंदुओं की जानकारी प्राप्त करें, मतदान उपरांत आपके रिपोर्ट और पीठासीन अधिकारी की डायरी का मिलान की जानी है। मॉकपोल के दौरान माइक्रो ऑब्जर्वर की उपस्थिति मतदान केन्द्र में होना अनिवार्य होती है। मतदान दिवस के दिन समय पर मतदान की सभी गतिविधि संचालित हो, केंद्र में लंबी कतार को कम करवाने, मशीनों से संबंधित कोई दिक्कत हो तो सेक्टर अधिकारी से संपर्क जैसे कार्य में सहयोग के साथ ही माइक्रो ऑब्जर्वर उससे संबंधित प्रपत्र को भी अद्यतन करते रहना है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मयंक चतुर्वेदी ने कहा कि माइक्रो ऑब्जर्वर विधानसभा निर्वाचन में माइक्रो ऑब्जर्वर कार्य कर चुके है तो आने वाले लोकसभा निर्वाचन माइक्रो को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नही होगी।

न्यायालय नजूल अधिकारी, जगदलपुर जिला बस्तर (छ.ग.)

रा.प्र.क्र.-161/अ-6/2023-24

– :उद्घोषणा :–

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक प्रदीप देवांगन पिता स्व. गुमान सिहं निवासी टिकरापारा टावबल कालोनी कांकेर जिला कांकेर छ.ग. द्वारा नगर जगदलपुर के मोहल्ला पखनागुड़ापारा स्थित शीट नं.-122 प्लॉट नं.-18/10,18/9,19,17/7 क्षेत्रफल 320+1121+457+3574 वर्गफीट, वार्षिक भू-भाटक 66.00 रु. की भूमि खातेदार छबीराम देवांगन पिता स्व. गुमान सिहं एवं अन्य 05 सहखातेदार के नाम पर नजूल मेन्टनेश खसरा में दर्ज है। आवेदकगण द्वारा उक्त भूमि को आपसी सहमती से पारिवारिक व्यवस्थानुसार पंजीकृत बटवारा विलेख क्र-A1/3567 दिनांक 07/03/2024 द्वारा बटवारा करने के फलस्वरूप अपने-अपने नाम पर पृथक-पृथक नजूल अभिलेखों में नाम दर्ज करने/नामांतरण हेतु भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-109, 110 के अन्तर्गत आवेदन पत्र इस न्यायालय में विधिवत स्वयं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

प्राप्त आवेदन की कार्यवाही के सबंध में यदि किसी को भी कोई आपत्ति/ दावा हो तो वह स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 30/04/2024 तक इस न्यायालय में आपत्ति/ दावा प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथी उपरांत प्राप्त आक्षेप पर कोई सुनवाई नहीं होगी।

अतः आज दिनाँक 15/04/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मोहर से जारी किया गया।

मुहर

नजूल अधिकारी
जगदलपुर